माननीय न्यायमूर्ति विजेन्द्र जैन, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर के समक्ष

गुरदेव सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी

एल.पी.ए. क्रमांक 106/1996

सीडब्ल्यूपी नंबर 2316/1991

30 जुलाई, 2007

सेना नियम, 1954—आर.एल. 11(2)—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद। 226—स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध करने वाला एक जूनियर कमीशंड अधिकारी–अधिकारियों द्वारा मामले की सिफारिशों के बाद जारी किए गए सेवामुक्ति आदेश–प्रभावी होने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने के लिए अपीलकर्ता द्वारा आवेदन

करना–अस्वीकृति–उसे चुनौती–क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध किया जा सकता है इसकी स्वीकृति के बाद लेकिन इसके प्रभावी होने से पहले वापस ले लिया गया - माना गया, हां - उस संबंध में एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष गलत हैं - उप नियम (2) सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति की सहमति के अधीन और शर्तों के अधीन उसकी सेवामुक्ति को रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है। लगाया जाए–अधिकारियों द्वारा ठोस कारण बताकर अपीलकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं करना–अधिकारियों द्वारा शक्ति का प्रयोग मनमाना नहीं–याचिका खारिज।

माना गया कि सेना नियम, 1954 के नियम 11 का उप-नियम (2) स्पष्ट रूप से सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति की सहमति के अधीन और ऐसी शर्तों के अधीन, जो लगाई जा सकती हैं, बर्खास्तगी को रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए, अपीलकर्ता के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रार्थना को नियम 11(2) के प्रावधानों के अनुसार विचार करने और उसके प्रभावी होने से पहले वरिष्ठ प्राधिकारी के अधीन वापस लेने का विकल्प था। हालाँकि, नियम 11 (2) के तहत निहित शक्ति वाले वरिष्ठ प्राधिकारी ने, 4 मार्च, 1991 के एक विस्तृत आदेश द्वारा, अपीलकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उसमें यह देखा गया है

कि ऐसी प्रार्थना करने के समय, उन्होंने अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समर्थन में अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों को उजागर किया था, लेकिन वापसी के समय, उनकी इकाई में वरिष्ठ अधिकारियों पर मंशा थोपकर एक बिल्कुल अलग मामला पेश करने की मांग की गई थी। प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया और ठोस कारण बताते हुए खारिज कर दिया गया।

(पैरा 8 एवं 9)

इसके अलावा, माना जाता है कि एक बार जब किसी प्राधिकारी में निहित शक्ति का उपयोग ठोस कारण देकर विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है, जो हमारे विचार से, इस न्यायालय की न्यायिक चेतना को संतुष्ट करता है, तो वह मनमानी के दोष से ग्रस्त नहीं होगा। भले ही विद्वान एकल न्यायाधीश का आंशिक तर्क गलत था, लेकिन रिट याचिका में अपीलकर्ता को राहत से वंचित करने के लिए नियमों के नियम 11 (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा शक्ति के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए अंतिम निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।.

(पैरा 10 एवं 11)

जे.सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुश्री मीनाक्षी वर्मा, अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से

गुरप्रीत सिंह, वकील प्रतिवादी की ओर से

<u>न्यायमूर्ति विजेंदर जैन, मुख्य न्यायाधीश</u>

(1) विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 मार्च, 1995 के फैसले के खिलाफ लेटर पेटेंट के खंड एक्स के तहत इस अपील में, - जिसके तहत सी.डब्ल्यू.पी. अपीलकर्ता द्वारा दायर संख्या 2316/1991 को खारिज कर दिया गया था, निम्नलिखित दो प्रश्न इस पीठ द्वारा निर्धारण के लिए रखे गए हैं: -

(i) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध इसकी स्वीकृति के बाद, लेकिन इसके प्रभावी होने से पहले वापस लिया जा सकता है?

(ii) क्या वापसी की प्रार्थना को अस्वीकार करने के आदेश को मनमाना कहा जा सकता है?

(2) अपीलकर्ता ने, भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड अधिकारी के रूप में सेवा करते हुए, जून, 1990 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध किया, जिस पर यूनिट याचिका समिति ने विचार किया। उक्त समिति ने समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए उनके मामले की सिफारिश की। 18 जून, 1990 को, कमांडिंग ऑफिसर, जिन्हें समिति की सिफारिश

प्राप्त हुई थी, ने मामले को वास्तविक पाते हुए, अपीलकर्ता के मामले को समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए उच्च अधिकारियों को सिफारिश की। परिणामस्वरूप, 20 जुलाई, 1990 को सेवामुक्ति आदेश जारी किए गए, जिसके अनुसार अपीलकर्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल, 1991 से प्रभावी होनी थी। अपीलकर्ता ने पुनर्विचार करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने का अनुरोध किया। सेवानिवृत्ति, - दिनांक 1 दिसंबर, 1990 के पत्र द्वारा। हालांकि अपीलकर्ता की प्रार्थना को सेना नियम, 1954 (संक्षेप में, नियम) के नियम 11 (2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने सी.डब्ल्यू.आर. संख्या 2316/1991 के माध्यम से प्रतिवादियों की कार्रवाई पर हमला किया, जिस पर 28 मार्च, 1995 को उनकी याचिका को अस्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज करते हुए अन्य टिप्पणियों के साथ यह भी कहा: -

"इसके अलावा, एक बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, चाहे वह भविष्य की तारीख से प्रभावी हो, याचिकाकर्ता को इसे वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है।"

(3) अपीलकर्ता की मुख्य शिकायत यह है कि उसके पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपनी प्रार्थना को लागू होने से पहले वापस लेने का विकल्प था और उसे बिना किसी सूचना के केवल इसे स्वीकार करने से वह इसे वापस लेने का हकदार नहीं होगा।

(4) हमने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(5) हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश की उपरोक्त टिप्पणी गलत है और यह स्पष्ट रूप से नियमों के नियम 11 के प्रावधानों के विपरीत भी है। कानून का स्थापित प्रस्ताव यह है कि कोई व्यक्ति अपना इस्तीफा वापस ले सकता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध उसके प्रभावी होने से पहले कर सकता है और जब नियोक्ता और ऐसे कर्मचारी के बीच व्यवस्था वास्तव में समाप्त हो जाती है। यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा और अन्य और शंभू मुरारी सिन्हा बनाम प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से सहारा लिया जा सकता है।

(6) लेकिन, वर्तमान मामले में, तथ्यों से पता चलता है कि अपीलकर्ता के मामले पर नियमों के नियम 11 के अनुसार विचार किया गया था, जो इस प्रकार है-

"11. सेवामुक्ति में देरी नहीं की जाएगी।–(1) अधिनियम के तहत नामांकित प्रत्येक व्यक्ति, जैसे ही वह अपने नामांकन की शर्तों के तहत सेवामुक्ति का हकदार हो जाता है, उसे सभी सुविधाजनक गति से सेवामुक्त कर दिया जाएगा:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति अधिभार मुक्ति का हकदार नहीं होगा, यदि केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा, नियमित सेना के पूरे या उसके हिस्से के लिए मुक्ति की उक्त पात्रता को निलंबित कर दिया है।

(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से स्वीकृत व्यक्ति का डिस्चार्ज, डिस्चार्ज किए गए व्यक्ति की सहमति से, उस प्राधिकारी से वरिष्ठ किसी भी प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है जिसने बिना किसी शर्त के या ऐसी शर्तों के अधीन डिस्चार्ज को मंजूरी दी थी। डिस्चार्ज किया गया व्यक्ति स्वीकार करता है।

(7) हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त पुनरुत्पादित एमएल पर ध्यान दिया था, फिर भी, वह मामले के तथ्यों पर इसे लागू करने में विफल रहे।

(8) नियम 11 का उप-नियम (2) स्पष्ट रूप से सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति की सहमति और लगाई गई शर्तों के अधीन उसकी सेवामुक्ति को रद्द करने की शक्ति प्रदान

करता है। इसलिए, अपीलकर्ता के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रार्थना को वापस लेने का विकल्प था, बशर्ते कि वरिष्ठ प्राधिकारी इस पर नियम 11(2) के प्रावधानों के अनुसार विचार करें और उसके प्रभावी होने से पहले।

(9) हालाँकि, नियम 11(2) के तहत निहित शक्ति वाले वरिष्ठ प्राधिकारी ने 4 मार्च, 1991 के एक विस्तृत आदेश द्वारा, अपीलकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इसमें देखा गया है कि आवेदन के समय इस तरह की प्रार्थना में, उन्होंने अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समर्थन में अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर प्रकाश डाला था, लेकिन वापसी के समय, उनकी इकाई में वरिष्ठ अधिकारियों के उद्देश्यों को आरोपित करके एक पूरी तरह से अलग मामला पेश करने की मांग की गई थी। प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया और ठोस कारण बताते हुए खारिज कर दिया गया।

(10) एक बार जब किसी प्राधिकारी में निहित शक्ति का उपयोग ठोस कारण देकर विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है, जो हमारे विचार से, इस न्यायालय की न्यायिक चेतना को संतुष्ट करता है, तो वह मनमानी के दोष से ग्रस्त नहीं होगा।

(11) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, हम मानते हैं कि भले ही, विद्वान एकल न्यायाधीश का आंशिक तर्क गलत था, लेकिन अंतिम निष्कर्ष नियमों के नियम 11 (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा शक्ति के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए था। रिट याचिका में अपीलकर्ता को राहत से वंचित करने को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

(12) इसलिए अदालत अपील खारिज कर रही है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा